

Note : The principal notification No. 4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 10/2021-Central Tax (Rate) dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 695(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

सं. 14/2022-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 923(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3क	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540, 3301 25 90	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल, यथा:- क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिटा); ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉर्समिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट), मेंथा आरवेंसिस	कोई अपंजीकृत व्यक्ति	कोई पंजीकृत व्यक्ति”।
-----	---	--	----------------------	-----------------------

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

[फा सं. सीबीआईसी-190354/316/2022-टीआरयू सेक्शन-सीबीइसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 669(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 10/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 700(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2022

No. 14/2022-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 923(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 669(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, for S. No. 3A and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
" 3A.	3301 24 00, 3301 25 10, 3301 25 20, 3301 25 30, 3301 25 40, 3301 25 90	Following essential oils other than those of citrus fruit namely: - (a) Of peppermint (<i>Mentha piperita</i>); (b) Of other mints : Spearmint oil (<i>ex-mentha spicata</i>), Water mint-oil (<i>ex-mentha aquatic</i>), Horsemint oil (<i>ex-mentha sylvestries</i>), Bergament oil (<i>ex-mentha citrate</i>), <i>Mentha arvensis</i>	Any unregistered person	Any registered person".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2023.

[F. No. CBIC-190354/316/2022-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 4/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 669(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 10/2021-Integrated Tax (Rate) dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 700(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

सं. 14/2022-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 924(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 713 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3क	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540, 3301 25 90	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल, यथा:- क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिता); ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉर्समिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट), मेंथा आरवेंसिस	कोई अपंजीकृत व्यक्ति	कोई पंजीकृत व्यक्ति"।
-----	---	--	----------------------	-----------------------

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

[फा सं. सीबीआईसी-190354/316/2022-टीआरयू सेक्शन-सीबीइसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव